i. योजनांतर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन का निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में किया जायेगा।

7. **पदाभिहित अधिकारी** - सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग।

8. **लाभान्वित हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन** - इस योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किए गए हितग्राहियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। यह वेरीफिकेशन किसी हितग्राही विशेष के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर भी किया जा सकेगा। यदि वेरीफिकेशन में हितग्राही अपात्र पाया जाता है और उसके द्वारा दी गई स्व-घोषणा असत्य पाई जाती है तो उस व्यक्ति से पूर्व में मंडल द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण छात्रवृत्ति राशि की वसूली की जाकर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. **विसंगति का निवारण** - योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मंडल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

रत्नाकर झा, सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2024

शुद्धि–पत्र

क्र. मप्रविनिआ–संचा.–(एल. एण्ड आर)–2024–349.– मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयेग की अधिसूचना क्रमांक 180–म.प्र.वि.नि.आ.–2024 दिनांक 17 जनवरी 2024 (प्रकाशन तिथि 26 जनवरी 2024) के अंग्रेजी संस्करण में [ARG-1(II)(ii) of 2023] के स्थान पर [ARG-1(II)(ii) of 2024] पढ़ा जाये.

शुद्धि–पत्र

क्र. मप्रविनिआ–संचा.–(एल. एण्ड आर)–2024–350.– मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयेग की अधिसूचना क्रमांक 220–म.प्र.वि.नि.आ.–2024 दिनांक 19 जनवरी 2024 (प्रकाशन तिथि 26 जनवरी 2024) के अंग्रेजी संस्करण में [AG-15(ii) of 2023] के स्थान पर [AG-15(ii) of 2024] पढ़ा जाये.

शुद्धि–पत्र

क्र. मप्रविनिआ–संचा.–(एल. एण्ड आर)–2024–351.– मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयेग की अधिसूचना क्रमांक 233–म.प्र.वि.नि.आ.–2024 दिनांक 22 जनवरी 2024 (प्रकाशन तिथि 26 जनवरी 2024) के अंग्रेजी संस्करण में [G-45(i) of 2024] के स्थान पर [AG-45(i) of 2024] तथा हिन्दी संस्करण में [जी–45(i) वर्ष 2024] के स्थान पर [एजी–45(i) वर्ष 2024] पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, आयोग सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.